ज़्र 3प्र/
- डिग्री

प्रकाशन
क
हे

लय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुघ्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

दायरा तिथि | निर्णय दिनाक
5/12/2023 | 8/8/25

बउनवान

आत्मज जगन्नाथ जाति मीना निवासी गडेपान तहसील दीगोद तहसील
जिला कोटा (राज0)

— वादी

बनाम

ाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना

ाद आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना

रीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीना

ाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीना

मेशीबाई उर्फ तस्वीर बाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीना

समदराबाई उर्फ सुमित्रा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीना निवासीगण गढेपान
हसील दीगोद,जिला कोटा

— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वकील वादी— शिवप्रसाद शर्मा

वकील प्रतिवादीगण — रामबाबु दाधीच

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट बाबत धोषणा दुरस्ती

निणर्य

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है की ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 158 की 0.01, ख.न. 40 की 0.34 है0 ख.न. 55 की 1.22 है0 ख.न. 39 की 0.29 है0 ख.न. 54 की 1.28 है0 कुल 5 किता की 3.14 है भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोविन्दलाल जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगन्नाथ व कन्हैयालाल के नाम दर्ज हुई तथा जगन्नाथ व कन्हैयालाल जी की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण के नाम शामलाती खाते मे दर्ज की गई।

यह कि खसरा नम्बर 158 की 0.01 है भूमि ग्राम गढेपान आबादी में होने से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती रूप से उपयोग उपभोग में करने का आपसी समझोता किया गया।

यह कि वादी व प्रतिवादी न 1 ता 3 के मध्य उक्त भूमियो को लेकर आपसी पारिवारिक विभाजन कर लिया था जिसके तहत ख.न. 40 की 0.34 है0 ख.न. 55 की 1.22 है0 ख.न.158 की 0.01 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी न. 3 के हिस्से में आयी,जिस पर वादी व प्रतिवादी न. 3 का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड मे ख.न. 40 व 55,158 की भूमि सहवन से प्रतिवादी न. 1 व 2 के खाते दर्ज हो गई तथा प्रतिवादी न. 1 व 2 के ख.न. 158 पर जबरन कब्जा कर लिया।

इसी प्रकार उक्त पारिवाारिक विभाजन में ख.न. 39 की 0.29 है. ख.न. 54 की 1.28 है0 भूमि प्रतिवादी न 1 व 2 के हिस्से में आयी,जिस पर प्रतिवादी न 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड में खसरा न. 39 व 54 की भूमि सहवन से वादी व प्रतिवादी न. 3 ता 6 के खाते दर्ज हो गई।

यह है कि ख.न. 40 व 55 की 1.56 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी न. 3 का कब्जा चला आ रहा हैं इस कारण उक्त भूमि व ख.न. 158 की भूमि प्रतिवादी न. 1 व 2 के खाते हटायी जाकर वादी व प्रतिवादी न. 3 के नाम खाते दर्ज किया जाकर खाातेदार धोषित किया जाना आवश्यक् हो गया है। इसी प्रकार ख.न. 39 व 54 की 1.57 है0 आराजी पर प्रतिवादी 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है,इस कारण उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी क 3 के खाते से हटाई जाकर प्रतिवादी न. 1 व 2 के नाम खाते दर्ज किया जाकर खातेदार धोषित किया जाना आवश्यक् हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि वादी व प्रतिवादीगण जाति से मीना है तथा मीना जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है । इस कारण मीना जाति समाज के पुरूष वर्ग मौजूद होने पर महिलाओ का भूमि में कोई अधिकार लागू नही होता है इस कारण प्रतिवादीगण 4,5,6, महिला होने से व ससुराल में रहने से इस भूमि में उनका कोई अधिकार नही बनता है वैसे भी उनका कोई कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न 4,5,6, का नाम डिलीट किया जाना आवश्यक् है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से मौके पर कब्जे के आधार पर पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन के आधार पर खाते दर्ज कराने हेतु दिनांक 20.9.2023 को कहने पर प्रतिवादी न. 1 व 2 ने मना कर दिया तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार वादी के कब्जे की भूमि को खुर्द –बुर्द रहन व बेचान करने की धमकी दी गई। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया व भूमि को रहन बेचान कर दिया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिए माननीय न्यायालय में धोषणा खातेदारी,दुरस्ती इन्द्राज तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक् हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित कि जावे कि पक्षकारान् के मध्य पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार ग्राम गढेपान तहसील दीगोद की ख.न. 40 की 0.34 है. ख.न. 55 की 1.22 है जिस पर वादी व प्रतिवादी न. 3 का कब्जा चला आ रहा है का वादी व प्रतिवादी न. 3 को खातेदार कृषक धोषित किया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी न. 1 व 2 के खाते से हटाई जाकर वादी एवं प्रतिवादी न.3 के खाते दर्ज की जावे।

यह कि पक्षकारान् के मध्य पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार ग्राम गढेपान तहसील दीगोद की ख.न. 39 की 0.29 है0 ख.न. 54 की 1.28 है0 भूमि जिस पर प्रतिवादी न.1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है का प्रतिवादी न 1 व 2 को खोतदार धोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी व प्रति0 3 ता 07 के खाते से हटाई जाकर प्रतिवादी न.1 व 2 के खाते दर्ज की जावे।

यह कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद की आराजी ख.न. 158 की 0.01 है भूमि को वादी व प्रतिवादी 1 ता 3 के शामलाती खाते में दर्ज की जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम गढेपान की ख.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

[illegible] ख.न. 54 की 1.22 है0 भूमि पर. वादी व प्रतिवादी न. 3 के कब्जे [illegible] मे मदाखलत व मजाहमत नही करे और वादी को बेदखल नही करे ओर [illegible] भूमि को किसी प्रकार से रहन,बेचान,अन्तरण व खुर्द–बुर्द आदि नही करे। [illegible] न. 7 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रेकार्ड में [illegible] कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादीगण ओर से उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील रामबाबु दाधीच द्वारा वकालतनामा पेश प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की पहचान की गई। राजीनामा बाद जॉच तस्दीक कर शा0फा0 किया गया।

वकील वादी द्वारा निवेदन किया की प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है। पत्रावली में कोई जवाब व अन्य साक्ष्य की आवश्यक्ता नही है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर प्राथमिक डिकी/निर्णय जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील वादी द्वारा फर्द दस्तावेजात के साथ राजस्व मण्डल अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त रेफरेन्स/एलआर/86/जेलसमेर/निर्णय दिनांक 11.08.98 की प्रति एवं नकल जमाबंदी माल ग्राम गढेपान सम्वत् 2043–2062,नकल जमाबंदी माल ग्राम गढेपान सम्वत् 2042–2062 ,मिलान क्षैत्रफल माल ग्राम गढेपान तह0 दीगोद सम्वत 2043–2062 पेश किये।

पत्रावली बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर प्राथमिक डिकी/ निर्णय जारी किया जावे।

पत्रावली मे वकील पक्षकारान् की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड राजीनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2076–79 माल ग्राम गढेपान तहसील दीगोद खाता सं. 79 नया व पुराना 24 के ख. न. 158 की 0.01 ख.40 की 0.34 है0 ख.न. 55 की 1.22है0 आराजी में पक्षकार नन्दलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 मीना सा. देह,प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2076–79 माल ग्राम गढेपान,तहसील दीगोद, के खाता सं. नया 110 व पुराना 105 मे ख.न. 39 की 0.29 है0 व 54 की 1.28 है0 भूमि मे तस्वीरबाई पुत्री जगन्नाथ,बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ, मुरारीलाल पुत्र जगन्नाथ, रूपाबाई पुत्री जगन्नाथ , सुमित्रा बाई पुत्री जगन्नाथ सह खातेदार दर्ज रेकाड है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं. 79 जिसके ख.न. 158,55 एवं 40 है के खातेदार नन्दलाल एवं प्रहलाद पुत्रान कन्हैयालाल है जो कि वाद में प्रतिवादी कम 1 व 2 है जबकि राजीनामानुसार उक्त खाते की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

[illegible] पुत्र जगन्नाथ को खातेदार धोषित करने एवं ख.न. 55 को [illegible] जगन्नाथ (प्रति.कम 3) को खोतदार धोषित करने हेतु कथन किया [illegible] इसी प्रकार खाता सं. 110 के ख.न. 39 एवं 54 के रिकोर्डेड खातेदार [illegible] पुत्र जगन्नाथ,मुरारीलाल पुत्र जगन्नाथ,तस्वीरबाई,रूपाबाई एवं सुमित्राबाई पुत्री जगन्नाथ है, जबकि राजीनामे अनुसार उक्त खाते की ख.न. 39 व 54 को [illegible] एवं प्रहलाद पुत्रान कन्हैयालाल (प्रति.क.1 व 2) को खातेदार धोषित करने का कथन किया गया है। उक्तानुसार किया गया सव्यवहार अंतरण की श्रैणी में आता है जिसके लिए पक्षकरान् संक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क अदा कर आवश्यक् कार्यवाही कर सकते है। दोनो खातो में पक्षकारान समान नही होने के कारण राजीनामा मे चाही गई रिलीफ न्यायालय प्रदान किया जाना उचित नही समझती है। साथ ही राजीनामा अनुसार प्रतिवादी कम 4,5, व 6 उक्त भूमि मे कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। अतः खाता संख्या 110 मे से प्रति. कम 4, 5 व 6 का नाम नियमानुसार हक त्याग शुल्क/स्टांप ड्युटी ली जाकर डिलीट किया जाना उचित होगा।

पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर माल ग्राम गढेपान तह0 दीगोद के खाता संख्या 110 आराजी ख.न. 39 रकबा 0.29 है0 ख.न. 54 की 1.28 है0 भूमि मे से प्रति. कम 4, 5 व 6 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार हक त्याग शुल्क/स्टांप ड्युटी लिये जाने के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....8/8/24.......को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)